न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 480–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–2015 पारित व्दारा – तहसीलदार श्योपुर, जिला श्योपुर – प्रकरण क्रमांक 27/2012–13 अ–27

1– मांगी लाल 2– शंकरलाल धाकड़
पुत्रगण भेरूलाल, ग्राम अजापुरा
तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती सीतावाई पुत्री भेरूलाल
पत्नि वृजमोहन धाकड़
ग्राम प्रेमसार तहसील व जिला श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श
(आज दिनांक 19 – 10 –2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 27/2012–13 अ–27 में पारित दिनांक 4.3.15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार श्योपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत दावा दायर कर उसके एंव आवेदकगण के सामिलाती खाते पर धारित भूमि के बटवारे की मांग की, जिस

पर तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 27/2012-13 अ-27 दर्ज किया एंव बटवारा कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त अभिबचन जोड़े जाने की प्रार्थना की। तहसीलदार श्योपुर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 4-3-15 पारित किया तथा आवेदकगण का आवेदन अमान्य कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदिका व्दारा रिकार्डेड सह-भूमिस्वामी होने के आधार पर तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 8-3-13 प्रस्तुत कर स्वयं् के हिस्से को बटवारा कर भूमि प्रथक किये जाने की मांग की है जिस पर से तहसीलदार ने दिनांक 21.3.13 को प्रकरण क्रमांक 27/2012-13 अ-27 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की है । इसी प्रकरण में पृष्ठ 61 से 62 पर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 22/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि संभवतः ग्राम अजापुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 274/1 रकबा 1.717 हैक्टर एंव 324 रकबा 2.090 हैक्टर, 377 मिन 1 रकबा 0.711 हैक्टर भेरूलाल के नाम पर रही है एंव वाद में

यह भूमि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 05 दिनांक 26-1-13 से उभय पक्ष के नाम आई है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील क्रमांक 22/13-14 प्रस्तुत की है जो आदेश दिनांक 2-7-14 से निरस्त हुई है तथा तहसील न्यायालय में प्रचलित बटवारा कार्यवाही पर दिया गया स्थगन आदेश भी निरस्त किया गया है। इसके वाद आवेदकगण ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्योपुर के न्यायालय में प्रचलित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु दायर प्र.क्र. 51 ए 14 की प्रति प्रस्तुत कर तहसीलदार से कार्यवाही रोके जाने की आपत्ति दर्ज कराई गई, जो आदेश दिनांक 6-8-14 से निरस्त हुई, जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी क्रमांक 2701-एक/2014 प्रस्तुत की , जो आदेश दिनांक 23.1.15 से निरस्त हुई है। तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा आवेदनकगण ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त अभिबचन जोड़े जाने की मांग रख दी। तहसीलदार श्योपुर ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 4-3-15 पारित करके आवेदकगण का आवेदन अमान्य कर दिया, जिस पर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई। इन सभी तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि तहसील न्यायालय में एंव वरिष्ठ न्यायालय में आवेदकगण बार-बार इसी तथ्य को दोहरा रहे है कि अनावेदक को उनके पिता विवाह के समय दहेज एंव जेबरात देकर विदा कर चुके है जिसके कारण वादोक्त भूमि में उसका हक नहीं है,

जबकि अनावेदिका शासकीय अभिलेख में वादग्रस्त भूमि में अभिलिखित सहस्वामिनी है एंव अपने हक पर धारित भूमि का बटवारा कराना चाहती है, जिसके कारण विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार श्योपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 4-3-14 से आवेदकगण का आवेदन अमान्य करने में किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है। फलतः तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 27/2012-13 अ-27 में पारित दिनांक 4.3.15 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर